संख्या-489/XXVIII-4-2005-187/2003

प्रेषक,

अमर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-4 | देहरादून: दिनांक : 03 फरवरी, 2006

विषय: जनपद पिथौरागढ़ में ट्रांजिट हास्टल के भवन निर्माण कार्य के पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7प/1/24/2003/21805 दिनांक 23.09.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 में जनपद पिथौरागढ़ में ट्रांजिट हास्टल के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु संलग्नानुसार कुल रू0 11,69,000.00 (रू0 ग्यारह लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1- मदमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

2- कार्य कराते समय लोक निर्माण विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हों, को स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8- मद मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

11. शासनादेश में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय समायोजित न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

12. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13. निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14. निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

15. उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16. इसका व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 14-आवासीय भवनों की व्यवस्था, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-539/(वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2006 दिनांक 01.02.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,

(अजय सिंह)
उप सचिव

सं0-489(1)/XXVIII-4-2005-187/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ ।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, उत्तरांचल ।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
8. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0 ।
10. आयुक्त कुमाऊं /गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल ।
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अजय सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0 489(1)/XXVIII-4-2005-187/2003 दिनांक 03·2·2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	स्वीकृत लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद पिथौरागढ़ में ट्रांजिट हास्टल का भवन निर्माण	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल	46.69	35.00	11.69
		योग	रू0 46.69	रू0 35.00	रू0 11.69

(रू0 ग्यारह लाख उनहत्तर हजार मात्र)

(अमर सिंह)
उप सचिव